संख्या-**1213**/2026/747/22-2-2026-17(312)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह, नगला संतोषी, थाना-दादों, जनपद-अलीगढ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 25/26.08.1984 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गाँव के ही सियाराम के घर में घुसकर डकैती डालने तथा पीड़ित किताब सिंह द्वारा पहचान लेने पर गोली से मारकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-41/1985, धारा-396 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के दण्डादेश दिनांक 24.12.1985 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.04.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया बन्दी द्वारा दिनांक-14.07.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 03 माह, 06 दिन तथा 02 वर्ष, 07 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 14.07.2025 तक लगभग 69 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 14.07.2025 तक बन्दी की आयु 69 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 14.07.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 03 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 07 माह, की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध एवं प्रकृति (डकैटी डालने के दौरान 01 व्यक्ति की हत्या) बन्दी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-1095/2024) पुत्र श्री शैतान सिंह, निवासी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद-अलीगढ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-**1213**/2026/747(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार इटावा।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।